राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3(क)(मु.स.नि.) का.प्र./स्थानि/24/6632 दिनांक: 28-06-2024

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10(1)प्र.यु./सम/अनु–1/2012 दिनांक 17.06.2024 (प्रति संलग्न) के अनुसरण में स्वायत्त शासन विभाग व समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण तथा राज्य के समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं में पदस्थापित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.3(क)(मु.स.नि.) का.प्र./स्थानि/24/6633–6741 दिनांक: 28-06-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महो0 स्वायत्त शासन व नग0वि0 विभाग,जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महो0, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
05. समस्त अधिकारीगण, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
07. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
08. संयुक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट, आई0टी0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
8410083

Document certified by SURESH KUMAR OLA <suresholа5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Director
Date :27-06-2024 07:10:50

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग,
शासन सचिवालय जयपुर
डायरी नं.....6992.....
दिनांक.....20/6/24.....

IW 21062406

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–6) विभाग

DLB/ED/PD/PS

क्रमांकः प. 10(1)प्र.सु./सम/अनु–1/2012 **जयपुर, दिनांकः–**

18/6/24

परिपत्र

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, जवाबदेही/जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने तथा लोकसेवकों की सरल व त्वरित उपलब्धता हेतु राज्य सरकार संकल्पित व निरन्तर प्रयासरत है। अतः पूर्व में जारी परिपत्रों की निरन्तरता में समस्त अधिकारीगण निम्न निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें:–

AD 2 21/6

1. समस्त अधिकारी आमजन से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस में न्यूनतम 1 घण्टे का समय निर्धारित करें तथा इस बाबत् एक सूचना पट्ट अपने कार्यस्थल के बाहर नेमप्लेट के नीचे लगवायें। यदि किसी आपातकालीन/अति आवश्यक स्थिति में अधिकारी के लिए निर्धारित समय में मिलने हेतु उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो तो उस दिन आमजन के लिए वे अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करें और इस बाबत् स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करें, जिससे आमजन को कोई असुविधा न हो।

2. समस्त अधिकारियों को इस बात पर विवेचन करना चाहिए कि किसी आम नागरिक को उपखण्ड स्तर के कार्य के लिए जिला स्तर/राज्य स्तर एवं जिला स्तर के कार्य के लिए राज्य स्तर पर न आना पड़े। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक कार्य निर्धारित स्तर पर ही निस्तारित हो। नियमानुसार निर्धारित समयावधि में गुणावगुण पर निष्पादन हो। लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के समयबद्ध निष्पादन की नियमित समीक्षा होनी चाहिए तथा निर्धारित समयावधि से ज्यादा कोई भी प्रकरण अकारण लंबित नहीं होना चाहिए।

ESH 841 21/6

समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
8. रक्षित पत्रावली।

Received today 27/6/24

मुख्य सचिव

RajKaj Ref
8066984

Document certified by SUDHANSH PANT <sudhansh.pant@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Sudhansh Pant
Designation : Chief Secretary
Date :17-06-2024 02:55:33

Scanned with OKEN Scanner